+II
PR-IV

DR. RAHUL KR PASWAN
Dept of Pol. Sci

⇒ व्यवस्थापिका (LEGISLATURE)

व्यवस्थापिकाओं का विकास लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही हुआ है। व्यापक अर्थ में व्यक्तियों का वह समूह, जो कोई प्रतिनिध्यात्मक आधार न रखते हुए भी शासन को नियम-निर्माण में सलाह, सहायता या प्रेरणा देने का कार्य करता है, व्यवस्थापिका कहा जाता है।

"व्यवस्थापिका व्यक्तियों का ऐसा आधुनिक संगठन है, जो कानून बनाने के अधिकार से युक्त होता है" इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि व्यवस्थापिका के लिए ~~प्रतिनिधि~~ प्रतिनिध्यात्मक रूप रखना आवश्यक नहीं है।

⇒ संगठन के आधार

मुख्य रूप से दो आधार है — पहला प्रतिनिध्यात्मक आधार और द्वितीय राजनीतिक दलों द्वारा। इन दोनों आधारों की विवेचना हम निम्न रूप से कर सकते हैं —

(1) प्रतिनिध्यात्मक आधार — ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवस्थापिकाओं के विकास के मूल में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता ही प्रमुख रही है। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में विधानमंडलों का गठन प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों पर ही होता है। स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाओं में विधानमंडलों का गठन इस आधार पर नहीं होता। ऐसा देखा गया है कि जिन देशों में विधानमंडलों के गठन का आधार प्रतिनिधित्व नहीं होता, वहां भी इनकी मांग की जाती है, जो कभी-कभी क्रांति का रूप ले लेती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिनिधित्व का व्यवस्थापिकाओं के संगठन में महत्वपूर्ण स्थान है।

(2) राजनीतिक दलों के आधार — आधुनिक व्यवस्थाओं में मूल रूप से दल-पद्धति का प्रभाव, राजनीतिक दलों का आकार और इनकी विचारधारा की भूमिका का आधार, विधानमंडल की प्रकृति का निर्धारक होने लगा है।

आधुनिक काल में निर्वाचन व्यक्तिगत आधार पर न होकर, राजनीतिक दलों के आधार

Scanned by TapScanner

पर होता है मतदाता के अपने किसी भी नीति-विकल्प का निर्धारण करने की अवस्था में स्वतंत्रता नहीं रहती। वह सिर्फ राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत नीति-विकल्पों में से किसी एक का चयन करने की स्वतंत्रता रखता है अतः आज संसदों के संगठन का व्यावहारिक आधार राजनीतिक दल ही बन गया है।

⇒ सदनों के आधार पर व्यवस्थापिका का संगठन —

सदनों के आधार पर भी व्यवस्थापिका का संगठन दो प्रकार के सिद्धांतों पर होता है। एक सिद्धांत के अनुरूप, विधानमंडल का सिर्फ एक ही सदन होता है, जिसे हम एकसदनात्मक (unicameral legislature) कहते हैं। दूसरे सिद्धांत के अनुरूप, व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, जिसे हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका (bicameral legislature) कहते हैं। आधुनिक युग में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का ही प्रचलन अधिक है। जिस देश में व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, वहाँ के एक को उच्च या द्वितीय सदन (upper house) कहते हैं और दूसरे को निम्न या प्रथम सदन (lower house)। निम्न सदन में साधारणतः जनसाधारण का प्रतिनिधित्व रहता है, जबकि उच्च सदन में अमीरों या सुविधाप्राप्त वर्गों का प्रतिनिधित्व रहता है।

एकसदनात्मक व्यवस्थापिका (unicameral legislature) —

जहाँ व्यवस्थापिका में एक सदन होता है, वहाँ सदनप्रणाली को एकसदनात्मक प्रणाली कहते हैं। एकसदनात्मक व्यवस्थापिका के समर्थकों का कहना है कि आज के लोकतांत्रिक युग में सर्वसाधारण का प्रतिनिधित्व एक ही सदन के द्वारा हो सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है कि किसी भी व्यवस्थापिका सभा में द्वितीय सदन का रहना अनावश्यक है।

Scanned by TapScanner